

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 44/2015

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. अम्बुजा सीमेन्ट्स लिमिटेड, यूनिट राबडियावास, तहसील जैतारण जरिये श्री राजेश सी. कोठारी पुत्र चम्पालाल कोठारी संयुक्त अध्यक्ष एवं पॉवर ऑफ एटॉर्नी होल्डर, अंबुजा सीमेन्ट लिमिटेड		1. सुखदेव पुत्र छीतर 2. मु0 पानकी बेवा छीतर जातिगण रेगर निवासीगण ढाणी पाटण, तहसील जैतारण जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :

श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
रेस्पोडेन्ट्स अनुपस्थित।

--: निर्णय :-


दिनांक : 29.03.19

—0—



अपीलाण्ट की ओर से यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 39/2010 अंबुजा सीमेन्ट लिमिटेड बनाम सुखदेव वगैरा में पारित आदेश दिनांक 16.12.2014 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया। रेस्पोडेन्ट बावजूद सम्मन तामील के अनुपस्थित रहे। अतः रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 89 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट कम्पनी की लीज क्षेत्र में स्थित होने के कारण खनन कार्य एवं समुनशंभी प्रयोजनार्थ अपीलाण्ट कम्पनी को उपलब्ध कराने का निवेदन किया एवं अपीलाण्ट ने यह भी कथन किया की इस हेतु जो मुआवजा राशि का न्यायालय द्वारा निर्धारण किया जाता है, वे रेस्पोडेन्ट्स को अदा करने को तत्पर है। रेस्पोडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु सहमति व्यक्त की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार जैतारण एवं खनि


राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

1/2

अभियन्ता सोजत से रिपोर्ट ली गई, जिसका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवलोकन ही नहीं किया गया। खनि अभियन्ता द्वारा अपनी रिपोर्ट में कथन किया गया था कि जो भूमि अपीलान्ट द्वारा चाही गई है, खनि अभियन्ता द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया कि जिस भूमि को कम्पनी द्वारा चाहा गया है, वह भूमि खनिज संभावित है तथा नाकाबिल काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि लीज क्षेत्र से बाहर होना बताते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जबकि भूमि लीज क्षेत्र के 300 मीटर की परिधी को डेंजर जोन माना गया है, जिसमें भूमि समनुशंषी प्रयोजनार्थ मुआवजा निर्धारित करते हुए प्रदान की जा सकती है। इन प्रावधानों को दरकिनार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरुद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त कराते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित करावें।



बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड के अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 89 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जैर अपील विवादित आराजी को खनन समनुशंषी कार्य हेतु मुआवजा निर्धारित कराते हुए प्रार्थी कम्पनी को प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोजेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा तहसीलदार जैतारण एवं खनि अभियन्ता, सोजत से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार जैतारण द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें वांछित भूमि लीज क्षेत्र से बाहर होना बताया तथा भूमि खेती के उपयोग में आना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि लीज क्षेत्र से बाहर होने से कारण मुआवजा निर्धारण नहीं किया जाना अंकित करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 39/2010 अम्बुजा सीमेन्ट लिमिटेड बनाम सुखदेव वगैरा में पारित आदेश दिनांक 16.12.2014 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.03.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशासम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली